

मध्यप्रदेश शासन,  
लोक निर्माण विभाग

क्रमांक : 3031/2017/19/घो  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 1-6-2017

1. प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग,  
भोपाल


2. समस्त मुख्य अभियंता, (राज.परि.)  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल परिक्षेत्र (म.प्र.)

विषय:- लेवल कासिंग बन्द करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत ।

विभागीय सड़कों में कतिपय स्थानों पर कोई लेवल कासिंग अथवा रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण होने पर अथवा अनुमोदन होने की स्थिति में सड़क पर स्थिति लेवल कासिंग बन्द करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यपालन यंत्री द्वारा अपने स्तर से जारी कर दिये जाते हैं । कई ऐसे स्थानों पर भी लेवल कासिंग बन्द करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, जहाँ अण्डर ब्रिज बनाया गया है । अण्डर ब्रिज में पानी भर जाने से वर्षा ऋतु में यातायात प्रभावित होता है । इसके अतिरिक्त बड़े वाहनों का अण्डर ब्रिज से निकलना संभव नहीं होता है ।

अतः ऐसी स्थिति में लेवल कासिंग बन्द करने की अनुमति देने से पूर्व संबंधित कार्यपालन यंत्री प्रकरण एवं स्थल मानचित्र का पूर्ण विवरण देते हेतु प्रमुख अभियंता से अनुमति प्राप्त करेंगे ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये । निर्देशों का पालन न होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालन यंत्री उत्तरदायी होंगे ।


  
(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल) 1/06/2017  
सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
लोक निर्माण विभाग

पृ० क्रमांक :

भोपाल दिनांक .....

प्रतिलिपि:- समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग ..... (मध्यप्रदेश )

सचिव  
12/6  
R 1600  
12/6/17



सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग